# न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

**पीठासीन अधिकारी** **श्री महेन्द्र सोनी** आई.ए.एस.

| **अपीलान्ट** | **बनाम** | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| 1.जोधाराम पुत्र भगवाना जाति कलबी निवासी देवदा का गोलिया तहसील बागोडा जिला जालोर | | 1.श्रीमति मीरा पत्नि मांगा जाति कलबी निवासी देवदा का गोलिया तहसील बागोडा जिला जालोर<br>2.पूनमा पुत्र भगवाना जाति कलबी निवासी देवदा का गोलिया तहसील बागोडा जिला जालोर<br>3.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बागोडा |

**प्रकरण संख्या अपील 05/2018**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार बागोडा दिनांक 03.07.2015 कैम्प मोरसीम बाबत विभाजन खसरा नबंर 1351, 1355, 1343, 1344, 1349 ग्राम देवदा का गोलिया बाबत जारी किया गया आदेश क्रमांक भू-अभिलेख 2015 दिनांक 03.07.2015 को जारी फरमाया।

उपस्थिति:-
1-श्री सुरेन्द्र चौहान अभिभाषक अपीलांटस
2-श्री निखिल दवे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3-श्री अनिल कुमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

**दिनांक: 24.07.2019**

**निर्णय**

.....

अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने ग्राम मोरसीम में लोक अदालत में आपके द्वार कैम्प दिनांक 03.07.2015 को देवदा का गोलिया में स्थित आराजी खसरा नबंर 1351, 1355, 1343, 1344, 1349 रकबा क्रमश: 0.58, 1.56, 0.40, 0.56, व 0.44, 0.81 हैक्टर की आराजी आपसी सहमति से विभाजन करवाने की ईच्छा प्रकट की जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने टाईप किये गये प्रार्थना पत्र तथा करीब 10-15 कागज जो प्रिन्ट किये हुए थे उन पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर व अगुठा निशान करवाये तथा उसमें गवाह के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र थानाराम के हस्ताक्षर करवाये जिस समय उक्त बंअवाडा आपसी सहमति से करवाया जा रहा था तब उक्त विवादित बंटवाडे के साथ 5-6 अन्य शामलाती व पुश्तैनी कृषि आराजी के बंटवाडे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति के बीच करवाये जा रहे थे तथा उक्त बंटवाडा जो हमने आपस में किया था उसके विपरित बंटवाडा किया गया है अपीलांट ग्रामीण परिवेश का होने के कारण उक्त बंटवाडा के कागजात पढकर नही सुनाया तथा न ही नक्शे के आधार पर उक्त बंटवाडा अपीलांट को दिखाकर करवाया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मीरा को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पूनमा को उपरोक्त खसरा नबंर में से 0.3 हैक्टर की आराजी ज्यादा दी गई है जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट निम्न वजूहातो पर अपील प्रस्तुत करता है:-अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विभाजन का आदेश पारित करने में न केवल तथ्यो की भूल की है बल्कि विधि के मूलभूत सिद्धान्तो की भारी भूल की है। उपरोक्त खसरा नबंर का बटवाडा करते समय

उक्त बंटवाडे में पहचानकर्ता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र थानाराम के हस्ताक्षर करवाये जिंससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलावट कर 1/3 में से 0. 3 हैक्टर की आराजी ज्यादा दी है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विभाजन किया है जो हर सुरत में निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नबंर 1351, 1355, 1343, 1344, 1349 में से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 0.3 हैक्टर की ज्यादा आराजी देकर उक्त आदेश गलत व मिलावट पूर्वक फरमाया है जो हर सूरत में निरस्त योग्य है। अपीलांट को उपरोक्त खसरा नबंर में आपसी विभाजन में भूमि कम दी गयी है तथा उक्त भूमि में से अपीलांट को अपने खेत में जाने हेतु रास्ता था उक्त आराजी को अपीलांट को कम देकर के अपीलांट के अधिकारो पर भयकर कुठाराघात हुआ है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।अपीलांट आशिक्षित होने तथा ग्रामीण परिवेश का होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने विभाजन की वास्तविक स्थिति को नही समझाया जिससे अपीलांट यह समझता रहा कि समान रूप से उक्त खसरानंबरान की आराजी में से 1/3 हिस्से की आराजी बराबर दी किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने पक्षपात पूर्वक व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र थानाराम से मिलावट कर उक्त बंटवाडे में उक्त आराजीयान में से 0.3 हैक्टर भूमि कम अपीलांट को दी है।अपीलांट यह समझता रहा कि उक्त आराजीयान में से 1/3 हिस्सा अपीलांट को बरावर बरावर दिया गया है किन्तु अपीलांट के हिस्से में 0.3 हैक्टर आराजी कम देने का ज्ञान उस समय हुआ जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मौके पर स्थित माठ को तोडकर अपनी ओर 0.3 हैक्टर की आराजी को बढाते हुए पुनःमाठ कायम करने की तैयारी करने लगा तब अपीलांट तहसील कार्यालय जाकर पता किया तो अपीलांट को उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 0.3 हैक्टर ज्यादा देने की पूरी जानकारी हुई तब तहसील कार्यालय व रेवेन्यु विभाग से नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है उक्त अपीलाधीन आदेश से संबंधित दस्तावेज दिनांक 02.01.2018 को नकले प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जिस पर अपीलांट को 09.1.2018 को नकले प्राप्त हुई जिससे अपीलांट को पता चला की अपीलांट के हिस्से की 1/3 हिस्से में से 0.3 हैक्टर की आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कम दी गई है इससे पूर्व अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही थी।इस प्रकार अपील अपीलांट अन्दर म्याद प्रस्तुत है।माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार की होने से श्रीमान को उक्त अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।

अतः अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को हिस्से से कम भूमि तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ज्यादा भूमि बंटवाडा के तहत दी गई जिसका रकबा 0.3 हैक्टर है, को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में बंटवाडा के तहत दिलाई जाने का हुक्म फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो रास्ते की भूमि को रोक टोक कर रहे है उन्हे ऐसा न करने के लिए पाबन्द किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रकरण पुनःसुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर अपीलांट को पूरा हक दिलाया जावे।तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोराहते हुये कथन किया गया है कि दिनांक 03.07.2015 को लोक अदालत कैम्प मोरसीम में अपीलाधीन खसरो का सहमति से बंटवाडा हुआ है।लेकिन इस बंटवाडे में रकबा 0.3 हैक्टर भूमि अपीलांट को कम दी गई है जबकि 1/3 हिस्से के अनुसार जमीन बराबर दी जानी चाहिए थी,जो नही दी गई है।अपीलांट पढा लिख नही है केवल मात्र हस्ताक्षर करना ही जानता है लोक अदालत कैम्प में बंटवाडा प्रिन्टेड प्रारूप में तैयार किया हुआ होने से केवल मात्र नाम आदि भरे गये थे जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के हस्ताक्षर व अगुठा निशान करवाये गये। इस बंटवाडे के साथ साथ हमारी अन्य शामलाती व पुश्तैनी कृषि भूमि के भी बंटवाडे हेतु कागजात तैयार करवाये गये थे।लेकिन उक्त बंटवाडा के कागजात पढकर नही सुनाया गया था। तथा न ही नक्शे के आधार पर बंटवाडा अपीलांट को बताया था।इस बंटवाडे मे हिस्से अनुसार भूमि का बंटवाडा बराबर

जिला कलेक्टर, जालौर

बराबर नही हुआ है। अत:बंटवाडा आदेश दिनांक 3.07.2015 को खारिज करावे तथा बराबर बंटवाडे हेतु पत्रावली पुन:अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड के आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से तर्क दिया गया कि बंटवाडे में जमीन अच्छी खराब होने पर रकबा कम ज्यादा भी दिया जाता है रकबा 0.3 हैक्टर बाबत Proformas में कोई त्रुटि नही है अपीलांट पढा लिखा साक्षर है जबकि रेस्पोडेन्ट साक्षर भी नही है।सहमति के बंटवाडे की अपील नही होती है।अपीलांट द्वारा ढाई वर्ष बाद यह अपील पेश की गई है।अपील देरी से प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण प्रार्थन पत्र मे नही बताये जाने के आधार पर अपील मियाद वाहर होने से खारिज फरमाई जावे।इस पर वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके पर स्थित माठ को तोड कर 0.3 हैक्टर भूमि अपनी ओर बढाते हुये पुन:माठ कायम करने पर पता चला तब अपीलाधीन आदेश की नकलो हेतु दिनांक 02.01.2018 को तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 09.01.2018 को नकले प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। तथा इसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत किया गया है।अत:अपील अन्दर म्याद शुमार करवाई जावे। तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करवाते हुये भूमि के बराबर बंटवाडे हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड के आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस के बिन्दु पर मनन भी किया। इस न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रकरण के तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है जिसके अनुसार दिनांक 03.07.2015 को सभी खातेदार पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से लिखित बंटवाडा किया तथा उक्त बंटवाडा तहसीलदार द्वारा कानून अनुरूप स्वीकृत किया गया। तत्समय बंटवाडे हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों जो इस पत्रावली में उपलब्ध है, के अनुसार उक्त दस्तावेजों पर अपीलान्ट जोधाराम के हस्ताक्षर भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से लिखित बंटवाडे के लगभग ढाई वर्ष पश्चात बिना ठोस दसतवेजी साक्ष्यों के आपत्ति उठाना तथा उक्त बंटवाडें को निरस्त करने के प्रार्थना-पत्र के समर्थन में मजबूत दस्तावेजी एवं विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किये गये है। आपसी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानी लगाने के पश्चात बंटवाडे की जानकारी ढाई वर्ष तक नहीं होने का कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है। अपील में विलम्ब को क्षमा करने का कोई प्रभावी एवं सारभूत आधार प्रस्तुत नही किया गया है। फलत: यह अपील म्याद बाहर भी है। इस प्रकार बिना ठोस आधारों के आपसी सहमति के लिखित बंटवाडे को पक्षकारान द्वारा बिना साक्ष्य एवं आधार के नकारते हुए लगभग ढाई वर्ष के अन्तराल पश्चात चुनौति दी जाती है तो फिर आपसी सहमति व लोक अदालत की प्रक्रिया ही निष्फल हो जायेगी। उपरोक्त विवेचन अनुरुप अपील ठोस तार्किक आधारों व साक्ष्यों के अभाव में गुणवगुण के आधार पर तथा म्याद बाहर होने से, दोनों आधारों पर उक्त अपील खारीज की जाती है

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर



Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:04:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: